HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 798/2026

Jaipal @ Jp @ Bachya S/o Suwalal, Aged About 35 Years, R/o Dampurabyor, Tan-Sanwal Pura Sekhawatan, Police Station-Ajitgarh, District Sikar.
(At Present Petitioner In Judicial Custody At District Jail, Alwar).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rakesh Chandel, Adv. Mr. Sarosh Khan, Adv. for Mr. Dinesh Pareek, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

23/02/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–प्रतापगढ़, जिला–अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–123/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 331(4), 305(a) बी.एन.एस. में पेश किया गया है।

प्रार्थी–अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन आरोप पत्र प्रस्तुति के उपरांत नवीन जमानत आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापिस लिया गया था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मात्र पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड आदि को देखते हुए मिथ्या रूप से आलिप्त किया है, अभियुक्त दिनांक 17.10.2025 से अभिरक्षा में है, अनुसंधान होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त का यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

यद्यपि अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि उसके द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी के मकान में प्रच्छन्न गृह अतिचार कर भारी मात्रा में सोने–चांदी के जेवरात चुराये परंतु अभियुक्त से वर्तमान मामले में कोई बरामदगी नहीं हुई है, उससे पूछताछ नोट के आधार पर आलिप्त करना बताया है, अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अनुसंधान के दौरान संकलित नहीं होना बताया गया है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **जयपाल उर्फ जेपी उर्फ बच्या पुत्र सुवालाल** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /05